अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पद उनामंद/ मुख्यालय का नाम	स्थानान्तरण के 10 वरीयता क्रमांक परिवर्तन क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	माया राम	वरिष्ठ सहायक	अस्थाई खण्ड लो०नि० वि० चकराता	देहरादून/ कालसी	① चकराता अ० ख० लो० नि० वि०	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					② प्र० ख० लो० नि० देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					③ नि० ख० लो० नि० वि० देहरादून	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					④ एन० एच०, डोईवाला	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					⑤ एन० एच० रुड़की	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					⑥ अ० ख० लो० नि० वि० मसूरी	☑ धारा 17(1) (ख) (पांच)	आयु 58 वर्ष होने के कारण आवेदक पूर्व अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० चकराता में चकराता में ही रहना चाहता है। वर्ष 2022-23 में भी किया स्थानान्तरण निरस्त किया गया था जिसके संबंध में निर्देशानुसार पुनर्विचार कर स्थानान्तरण निरस्त किया गया है। वर्तमान में भी नि०वि० चकराता में वरिष्ठ सहायक रिक्त है। अतः आवेदक रिक्त पद के विरुद्ध तैनाती चकराता में रहना	
					⑦ प्र० ख० लो० नि० वि० हरिद्वार	☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
					⑧ नि० ख० लो० नि० वि० (हरिद्वार) लकसर			
					⑨ अ० ख०, लो० नि० वि० लखीया	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					⑩ नि० ख० लो० नि० वि० रुड़की			

नोट– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– माया राम

पदनाम– वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– इं० डी० पी० एस० नेगी

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
चकराता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरियता क्रम	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विक्रम सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	विद्युत यांत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	जनपद – चमोली, तहसील – गैरसैंण	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
2					नि०खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैंण			
3					नि०खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून			
4					रा०मा०ख०, लो०नि०वि०, देहरादून			
5					रा०मा०ख०, लो०नि०वि०, बोईवाला			
6					प्रा०ख०, लो०नि०वि०, हरिद्वार			
7					अवस्थापना खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

विक्रम सिंह
वरिष्ठ सहायक
वि० / यां खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

(ललित मोहन रयाल)
अधिशासी अभियन्ता
वि० / यां० खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमित भट्ट	वरिष्ठ सहायक	अधिशासी अभियन्ता अ०, ख०, लो० नि०वि० श्रीनगर	देहरादून	(1) नि० ख० लो०नि०वि० देहरादून (2) प्र०ख० लो०नि०वि० देहरादून (3) रा०राजमार्ग डोईवाला (4) रा० राजमार्ग देहरादून (5) पी०आई० यू० स्मार्ट सीटी दे०दून (6) अ०खण्ड लो०नि०वि० ऋषिकेश	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र	
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	पुत्र/पुत्री जन्म प्रमाण पत्र	
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) Amit Bhatt

नाम– अमित भट्ट

पदनाम– वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– (D. P. Ar...)

पदनाम– Executive Engineer T.D., P.W.D. Srinagar, H.Q.-Srinagar

12/5/2023 12/5/2023

Scanned with CamScanner

MF-37

Govt. Medical College & H.N.B. Teaching Hospital
Srinagar, Pauri Garhwal

DEATH CERTIFICATE

S.No.....

Name Archana Bhatt Age 33yr Sex Female

Father's/Husband's Name Amit Bhatt

Ward No. EMR Bed No. ..... Date and Time of Death 30/4/23 at 5:30am

Cause of Death Cardiopulmonary Arrest

Contagious/Non Contagious

Full Name and Signature of Doctor Dr. Sourav Barh

JR 1 EMR

Name and Address of the person to whom body handed over with details of belongs, if any:

Name → Amit Bhatt.

Address → Madhuvanshdan, Deepnagar

Dehradun

Scanned with CamScanner

सं. 1
NO. 1

उत्तराखंड सरकार
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF MEDICAL HEALTH AND FAMILY WELFARE
नगर निगम देहरादून
NAGAR NIGAM DEHRADUN

प्रपत्र-5
FORM-5

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा उत्तराखंड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया)
(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE UTTARAKHAND REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि नगर निगम देहरादून तहसील देहरादून सदर जिला देहरादून राज्य/संघ प्रदेश उत्तराखंड, भारत के रजिस्टर में इन्द्राजित है।
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF BIRTH WHICH IS THE REGISTER FOR NAGAR NIGAM DEHRADUN OF TAHSIL/BLOCK DEHRADUN SADAR OF DISTRICT DEHRADUN OF STATE/UNION TERRITORY UTTARAKHAND, INDIA.

नाम / NAME: ADAVYA BHATT / अद्वय भट्ट

लिंग / SEX: पुरुष / MALE

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH:
07-07-2017
SEVENTH JULY TWO THOUSAND SEVENTEEN

जन्म स्थान/ PLACE OF BIRTH:
DOON NURSING HOME DEHRADUN/दून नर्सिंग होम देहरादून

माता का नाम / NAME OF MOTHER:
ARCHANA BHATT / अर्चना भट्ट

पिता का नाम / NAME OF FATHER:
AMIT BHATT / अमित भट्ट

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO:

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO:

बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता / ADDRESS OF PARENTS AT THE TIME OF BIRTH OF THE CHILD:
SAKET COLONY LANE NUBER 3 ,
AJABPUR KALAN , DEHRADUN, DEHRADUN SADAR, DEHRADUN
UTTARAKHAND
साकेत कॉलोनी , लेन नंबर 3 ,
अजबपुर कलां , देहरादून, देहरादून सदर, देहरादून,
उत्तराखंड

माता-पिता के स्थायी पता/ PERMANENT ADDRESS OF PARENTS:
SAKET COLONY, LANE NUBER 3,
AJABPUR KALAN, DEHRADUN, DEHRADUN SADAR, DEHRADUN,
UTTARAKHAND
साकेत कॉलोनी, लेन नंबर 3,
अजबपुर कलां, देहरादून, देहरादून सदर, देहरादून,
उत्तराखंड

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NUMBER:
B-2017; 3-90170-005025

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:
28-07-2017

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):
...

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:
18-08-2017

जारी करने वाला प्राधिकारी / ISSUING AUTHORITY :
रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)
नगर निगम देहरादून
NAGAR NIGAM DEHRADUN

UPDATED ON :
18-08-2017 13:23:29

'THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE '
' THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES'.

' प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें' / ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH'

Scanned with CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
3		4	5	6	7	8	9
1.	मीना टम्टा	वरिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग डीडीहाट	गंगोलीहाट	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
				(1) अल्मोड़ा खण्ड लोक निर्माण विभाग बेरीनाग	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					☑ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– मीना टम्टा

पदनाम– वरिष्ठ सहायक

27.4.23

अधिशासी अभियन्ता
प्र.सं. 530
पत्रांक 1 GB
दि० 27/4/23

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– ई० जगदीश प्रसाद 27.04.23

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एंव विभाग्ध्यक्ष
व्यवस्थापन ग वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

विषयः— वर्ष 2023 के अर्न्तगत शासन आदेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017दिनांक 06.02.2018 उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु अनुरोध पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी प्रथम नियुक्ति 20.05.2016 को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग बेरीनाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुयी थी।प्रार्थिनी की कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नति/स्थानान्तरण वरिष्ठ सहायक के पद पर 15.11.2022को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग बेरीनाग से प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग डीडीहाट में हुयी। प्रार्थिनी एक विधवा महिला है।प्रार्थिनी का बच्चा कक्षा—5 में बेरीनाग में ही अध्ययनरत है,जिसकी देखभाल करने वाला मेरे सिवाय अन्य कोई नही है।

अतः महोदय से विन्रम निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुयें मेरा स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)(पॉच) एवं धारा 17(1)ख(छः) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग बेरीनाग खण्ड में ही करने की कृपा करे, इसके लिए मैं आपकी आजीवन आभारी रहूँगी।

भवदीया

(मीना टम्टा)
वरिष्ठ सहायक
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
डीडीहाट

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विक्रम सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	विद्युत परिचालन खण्ड, ली०नि०वि०, देहरादून	जनपद – बागेश्वर, तहसील – गैरसैंण	प्रा०खण्ड, ली०नि०वि०, कर्णप्रयाग	धारा 17 (1) (ख) (पाच)		
2					नि०खण्ड, ली०नि०वि०, गैरसैंण			
3					नि०खण्ड, ली०नि०वि०, गोचर			
4					रा०मा०खं०, ली०नि०वि०, देहरादून			
5					रा०मा०खं०, ली०नि०वि०, कोटद्वार			
6					प्रा०खं०, ली०नि०वि०, हरिद्वार			
7					अल्माड़ी खण्ड, ली०नि०वि०, अल्मोड़ा			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

विक्रम सिंह

वरिष्ठ सहायक

वि० / यां खण्ड, ली०नि०वि०

देहरादून

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

(नीरज मोहन डा...)

अधिशासी अभियन्ता

वि० / यां० खण्ड, ली०नि०वि०

देहरादून

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–	पवन सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 लैन्सडौन	पौड़ी गढ़वाल लैन्सडौन	1– नि0ख0 दुगड्डा 2– प्रा0ख0 देहरादून 3– नि0ख0 देहरादून 4– प्र0मा0ख0 डोईवाला 5– प्र0नि0ख0 देहरादून 6– प्र0ख0 हरिद्वार 7– प्रा0ख0 ऋषिकेश 8– नि0ख0 नरेन्द्रनगर 9– वि/शो ख0 ऋषिकेश 10– नि0ख0 पाली	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	दुर्गम की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त सुगम में स्थानान्तरण पाने हेतु

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 27.4.2023

नाम– पवन सिंह रावत

पदनाम– (वरिष्ठ सहायक)

6/5/23

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– अधिशासी अभियन्ता

पदनाम– प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0 लैन्सडौन गढ़वाल ।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रामपाल	वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी	पौड़ी/पौड़ी	1– प्रा0ख0 पौड़ी 2– नि0ख0 पौड़ी 3– नि0ख0 पावौं 4– नि0ख0 श्रीनगर	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	इस कार्यालय के पत्र सं0 712/4ई0 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा त्रुटिवश एच0आर0एम0 एस0 पोर्टल पर दिनांक 12.01.2015 से दिनांक 12.09.2020 तक की अवधि दो बार अंकित होने के कारण प्रार्थी का क्रमांक 9 पर अंकित है जबकि प्रार्थी नाम क्रमांक 15 पर अंकित श्री अर्जुन सिंह वरिष्ठ सहायक के बाद आना है। (उक्त पत्र की छाया प्रति 03 नं0)। प्रार्थी की पत्नी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने एवं सर्वाइकल पेन के कारण प्रार्थी को पत्नी की स्वयं देखभाल करनी पड़ती है एवं साथ ही प्रार्थी के माता–पिता अत्यन्त वृद्ध है जिनकी देख–भाल भी प्रार्थी द्वारा की जाती है।
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	–	
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	–	
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	–	
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	–	
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)	–	
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 के अनुसार।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	–	

02/05/23
(रामपाल)
वरिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

03/05/23
(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–	ठाकुर सिंह धामी	वरिष्ठ सहायक	प्रा0ख0 डीडीहाट	पिथौरागढ़ धारचूला	प्रा0ख0 डीडीहाट	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– ठाकुर सिंह धामी

पदनाम– वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम–

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
डीडीहाट

द्वारा:– उचित माध्यम

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय,
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग,
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषयः– अनुरोध के आधार पर प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट से अन्य खण्ड में स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषयक अनुरोध है कि, प्रार्थी प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। महोदय दिनांक 11–08–2020 को प्रार्थी के दाहिने पैर की फीमर में चोट लग जाने के कारण प्रार्थी को पिथौरागढ़ स्थित निजी चिकित्सालय में पैर का आपरेशन कराना पड़ा था, (प्रमाण पत्र संलग्न), जिस कारण प्रार्थी का वर्ष 2022 में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर आपके कार्यालय आदेश संख्या 443/32व्यग (कनि0सहा0)–अधि0–उ0/22 दिनांक 8–07–2022 के द्वारा पर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट से वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, स्थानान्तरण हुआ था (प्रतिलिपि संलग्न), जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15–07–2022 को वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी थी। दिनांक 15–11–2022 को प्रार्थी की कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, से प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट, में दिनांक 17–11–2022 को वरिष्ठ सहायक के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी थी। महोदय प्रार्थी को वर्तमान खण्ड में कार्यरत रहते हुये अभी छः माह का समय भी नहीं हुआ है, तथा इस वर्ष माह अगस्त में प्रार्थी के पैर की फीमर में आपरेशन के समय पड़ी रॉड को निकाले जाने हेतु पुनः उसी निजी चिकित्सालय में आपरेशन होना है, जिस कारण प्रार्थी सुगम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण का पात्र होने के उपरान्त भी दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहने को तैयार है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को इस स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थी महोदय का आभारी रहेगा।

संलग्नः– चिकित्सा प्रमाण पत्र।

दिनांकः– 09–05–2023,

प्रार्थी,

(ठाकुर सिंह धामी)
वरिष्ठ सहायक,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट।

प्रतिलिपिः– प्रान्तीय, अक्ष्यक्ष/महामंत्री, उत्तरांचल, लोक निर्माण विभाग, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी,

(ठाकुर सिंह धामी)
वरिष्ठ सहायक,

मण्डलीय चिकित्सा परिषद–नैनीताल।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ठाकुर सिंह धामी, उम्र लगभग– 48 वर्ष, कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अस्कोट(पिथौरागढ़) जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आज दिनांक 06.04.2021 को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुए।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल से कराया गया। साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 11.08.2020 से 16.11.2020 तक, 99 दिन जो रेनू जगदीश डाईगनोस्टिक सेन्टर पिथौरागढ से प्रदत्त हैं, को संज्ञान में लिया गया।

परीक्षणोंपरान्त इन्हें Duly Trachanter # RSC & # Former Lower Limb MRD पाया गया। वर्तमान में इन्हें स्वास्थ्य पाया गया।

ह0 (ठाकुर सिंह धामी)

ह0 प्रमाणित : सी0एम0ओ0

मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल

अध्यक्ष,
MEDICAL BOARD
NAINI TAL

सदस्य
MEDICAL BOARD
NAINI TAL

सदस्य MEMBER
MEDICAL BOARD
NAINI TAL

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नैनीताल।

संख्या–एम–5/2020 दिनांक अप्रैल 06 2021

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अस्कोट(पिथौरागढ)को उनके पत्र दिनांक 01.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र.सं	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं0) वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	7	6		8
1	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	वरिष्ठ सहायक	प्रा0ख0, डीडीहाट	पिथौरागढ़ / पिथौरागढ़	(1) प्रा0ख0, डीडीहाट	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					(2) अ0ख0, बेरीनाग	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	–	वर्तमान खण्ड में प्रार्थी को मात्र 6 माह ही हुये हैं। अतः स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने की कृपा करें।
					(3) नि0ख0, अस्कोट	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	–	
					(4) रा0मा0ख0, लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	–	
					(5) प्रा0ख0, चम्पावत	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	–	
					(6) नि0ख0, लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच)	–	
					(7) प्रा0ख0, पिथौरागढ़	☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	–	
					(8) वि0यां0ख0, पिथौरागढ़	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	–	

(इं0 गिरीश चन्द्र जोशी)
वरिष्ठ सहायक
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

अधिशासी अभियन्ता
प्र क 683
पत्रांक 1GE
दि 2025/5/23

25/5/23
(इं0 जगदीश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

E.E.I
25/5/23
to EE
25/05/2023

द्वारा:– उचित माध्यम

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय,
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग,
उत्तराखण्ड़ लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषय:– अनुरोध के आधार पर प्रान्तीय खण्ड़ लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट से अन्य खण्ड़ में स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषयक अनुरोध है कि प्रार्थी प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। महोदय प्रार्थी की 15 नवम्वर 2022 को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रान्तीय खण्ड़ लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, से दिनांक 21–11–2022 को प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट, में वरिष्ठ सहायक के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी थी। महोदय प्रार्थी को वर्तमान खण्ड़ में कार्यरत रहते हुये छः माह का समय ही हुआ है, तथा प्रार्थी सुगम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण का पात्र होने के उपरान्त भी दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहने को तैयार है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को इस स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थी महोदय का आभारी रहेगा।

दिनांक:– 25–05–2023,

प्रार्थी,

(गिरीश चन्द्र जोशी)
वरिष्ठ सहायक,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट।

अग्रिम प्रतिलिपि:– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापन 'ग' वर्ग, उत्तराखण्ड़ लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी,

(गिरीश चन्द्र जोशी)
वरिष्ठ सहायक,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र.सं	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान (10 नं0) वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	7	6		8
1	ठाकुर सिंह धामी	वरिष्ठ सहायक	प्रा0ख0, डीडीहाट	पिथौरागढ़ / धारचूला	(1) प्रा0ख0, डीडीहाट	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	वर्तमान खण्ड में 6 माह ही होने के कारण स्थानान्तरण से अवमुक्त करने की कृपा कीजिएगा,
					(2) अ0ख0, बेरीनाग	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	–	
					(3) नि0ख0, अस्कोट	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	–	
					(4) रा0मा0ख0, लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	–	
					(5) प्रा0ख0, चम्पावत	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	–	
					(6) नि0ख0, लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच)	–	
					(7) प्रा0ख0, पिथौरागढ़	☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	–	
					(8) वि0यॉ0ख0, पिथौरागढ़	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	–	

25/05/23
(ठाकुर सिंह धामी)
वरिष्ठ सहायक
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

अधिशासी अभियन्ता
प्र क्र 692
25/5/23

25/5/23
(इं0 जगदीश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

25/05/2023

मण्डलीय चिकित्सा परिषद–नैनीताल।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ठाकुर सिंह धामी, उम्र लगभग– 48 वर्ष, कार्यालय–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अस्कोट(पिथौरागढ़) जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आज दिनांक 06.04.2021 को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुए।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल से कराया गया। साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 11.08.2020 से 16.11.2020 तक, 99 दिन जो रेनू जगदीश [illegible] संलग्न में लिया गया।

द्वारा:– उचित माध्यम

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय,
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग,
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषयः– अनुरोध के आधार पर प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट से अन्य खण्ड में स्थानान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषयक अनुरोध है कि, प्रार्थी प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। महोदय दिनांक 11–08–2020 को प्रार्थी के दाहिने पैर की फीमर में चोट लग जाने के कारण प्रार्थी को पिथौरागढ़ स्थित निजी चिकित्सालय में पैर का आपरेशन कराना पड़ा था, (प्रमाण पत्र संलग्न), जिस कारण प्रार्थी का वर्ष 2022 में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर आपके कार्यालय आदेश संख्या 443/32व्यग (कनि0सहा0)–अधि0–उ0/22 दिनांक 8–07–2022 के द्वारा पर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट से वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, स्थानान्तरण हुआ था (प्रतिलिपि संलग्न), जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 15–07–2022 को वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी थी। दिनांक 15–11–2022 को प्रार्थी की कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, से प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट, में दिनांक 17–11–2022 को वरिष्ठ सहायक के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी थी। महोदय प्रार्थी को वर्तमान खण्ड में कार्यरत रहते हुये अभी छः माह का समय ही हुआ है, तथा इस वर्ष माह अगस्त में प्रार्थी के पैर की फीमर में आपरेशन के समय पड़ी रॉड को निकाले जाने हेतु पुनः पिथौरागढ़ स्थित उसी निजी चिकित्सालय में आपरेशन होना है, जिस कारण प्रार्थी सुगम क्षेत्र हेतु स्थानान्तरण का पात्र होने के उपरान्त भी दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहने को तैयार है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को इस स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण से अवमुक्त रखने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थी महोदय का आभारी रहेगा।

संलग्नः– चिकित्सा प्रमाण पत्र।

दिनांकः– 25–05–2023,

प्रार्थी,

(ठाकुर सिंह धामी)
वरिष्ठ सहायक,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ड़ीड़ीहाट।

अग्रिम प्रतिलिपिः– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापन 'ग' वर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी,

(ठाकुर सिंह धामी)
वरिष्ठ सहायक,

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री सुन्दर सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली (चमोली)	अल्मोड़ा/ अल्मोड़ा	1. नि0ख0 अल्मोड़ा 2. ए0डी0बी0 अल्मोड़ा 3. प्रा0ख0 रानीखेत 4. नि0ख0 रानीखेत 5. रा0मा0ख0 रानीखेत 6. प्रा0ख0 बागेश्वर 7. नि0ख0 कपकोट 8. प्रा0ख0 अल्मोड़ा	धारा के नाम के आगे लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु दुर्गम क्षेत्र मे स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। (महोदय अनुरोध कराना है कि मेरी माताजी की उम्र लगभग 62 वर्ष है जो डाईबिटिज, थाराईड से पीड़ित है जिनके उपचार हेतु मुझे बार–बार हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर,बेरली जाना पड़ता है। तथा मेरी पदोन्नति में स्थानान्तरण निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली में हुई जो कि पूर्वत: दुर्गम है, प्रर्थी जबकि पदोन्नोति प्रार्थी सुगम का पात्र था सुगम क्षेत्र में पद रिक्त न होने के कारण प्रार्थी की पदोन्नति दुर्गम क्षेत्र में की गई है। जिस हेतु प्रार्थी का स्थानान्तरण सुगम क्षेत्र में किसी भी खण्ड मे किया जाता है तो प्रार्थी अपने पारिवारिक दायित्वों साथ राजकीय कार्यो को सम्पादित किया जा सके)
						☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पॉच)		
						☑ धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17 (1) (ख)(सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, सभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम–सुन्दर सिंह बिष्ट

पदनाम–वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 9/5/23

नाम– (S S Rawat)

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	सुभाष सिंह	वरिष्ठ सहा०	रा०मा०खण्ड हल्द्वानी।	पिथौरागढ़,	(1) वि०खं० पिथौरागढ़। (2) प्रा०खण्ड पिथौरागढ़ (3) नि०खं० गंगोलीहाट (4) रा०मा० खण्ड गंगोलीहाट (5) प्रा०खं० धारचूला।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– सुभाष सिंह

पदनाम– वरिष्ठ सहायक
रा०मा०खण्ड
हल्द्वानी।

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण खण्ड (प्रथम)
हल्द्वानी (बेनीताल)
10/5/2023

नाम– (विजय कुमार)

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

Email: eenhhld@rediffmail.com

पत्रांक :916 / 450 दिनॉक 10/5/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय : सुगम से दुर्गम में अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिको द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप–2 प्रेषण के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका कार्यालय ज्ञाप संख्या 527 / 34व्यक– स्थनांतरण – सा0 / 2023 दि0–20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सुगम से दुर्गम में अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण हेतु खण्ड में कार्यरत पर श्री सुभाष सिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा स्थानान्तरण हेतु प्रारूप–2 प्रस्तुत किया गया है। जिसे मूल एवं साफ्ट कापी के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्न– पत्रानुसार मूल में।

10.5.23

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
हल्द्वानी (नैनीताल)

10/5/2023

C:Shabanam\All letter\2023-122

सेवा में,

श्रीमान प्रमख अभियन्ता,एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

विषय :– **अनुरोध के आधार पर सुगम से दुगर्म में स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विनम्र निवेदन है, कि प्रार्थी वर्तमान में सुगम स्थान राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, महोदय, यह अवगत कराना है कि वर्तमान में मेरी उम्र 56 वर्ष हो चुकी है। एवं मेरे बच्चे पिथौरागढ में रहते है, जिस कारण मुझे अक्सर बच्चों की देख–रेख हेतु पिथौरागढ जाना पड़ता है। जिस हेतु अत्यधिक व्यय वहन करना पड़ रहा है, प्रार्थी को सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नही है।

अतः महोदय, से निवेदन है, कि मेरी निजी पारिवारिक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त मेरा अनुरोध के आधार सुगम से दुर्गम स्थान जनपद पिथौरागढ/चम्पावत स्थित लो0 नि0 वि0 के निम्नलिखित खण्डों में से किसी भी खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा कीजिएगा, ताकि प्रार्थी राजकीय सेवा के साथ–साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन ही उचित प्रकार कर सकेगा, उक्त हेतु प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

1:–प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़।
2:–वि0/यों खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़।
3:–निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट।
4:–रा0मा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट।
5:–प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

प्रार्थी
(सुभाष सिंह)
वरिष्ठ सहायक
रा0मा0खण्ड,लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

प्रतिलिप :–निम्नलिखित को आदर सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदनार्थ प्रेषित:–

1:– अग्रिम प्रति प्रमख अभियन्ता,एवं विभागाध्यक्ष,व्यवस्थापन 'ग' वर्ग उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2:– क्षेत्रीय,अध्यक्ष/मत्री लो0नि0वि0 मिनिष्ट्रीयल एसोशियेशन कुमायूँ क्षेत्र।

(सुभाष सिंह)
वरिष्ठ सहायक
रा0मा0खण्ड,लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री त्रिलोक सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली (चमोली)	अल्मोड़ा/ अल्मोड़ा	1. प्रा0ख0बागेश्वर 2. नि0ख0 कपकोट 3. प्रा0ख0 रानीखेत 4. नि0ख0 रानीखेत 5. रा0मा0ख0 रानीखेत 6. अ0ख0 बेरीनाग	धारा के नाम के आगे लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	पारिवारिक कारण एवं दुर्गम से दुर्गम हेतु आवेदन
						☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पॉच)		
						☑ धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17 (1) (ख)(सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, सभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम–त्रिलोक सिंह नेगी

पदनाम–वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 9/5/23

नाम– (S S Rawat)

पदनाम–

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	मूल अभिलेख/ अभिलेख का नाम	विवरण	स्वयं की मोहर	विवरण के सत्यापन हेतु पत्र क्रमांक एवं दिनांक	विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
(Office of the Executive Engineer Construction Division P.W.D Chinyalisaur)
Email- eecdpwd_uki@rediffmail.com Phone/Fax No.- 01371-237084

पत्रांक 545 /ए0ई0 दिनांक 10 /05/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'क' वर्ग,
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरदून।

विषय– खण्ड के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा प्रारूप– 01 एवं अनुरोध के आधार पर कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप– 02 प्रेषण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक 527 / 34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दिनांक 20.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में इस खण्ड के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा प्रारूप–01 एवं अनुरोध के आधार पर कार्मिकों द्वारा प्रारूप –02 में अपने स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थानों के नाम भरकर खण्ड में प्रेषित किये गये हैं।

अतः खण्ड में प्राप्त प्रारूप–01 एवं प्रारूप–02 को निम्न सूची के अनुसार संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये जा रहे है।

01. श्री मनोज दास, अधिशासी अभियन्ता।
02. श्री महेश कुमार, प्रभारी सहायक अभियन्ता।
03. श्री अमित चौहान, अपर सहायक अभियन्ता।
04. श्रीमती सोनिका, अपर सहायक अभियन्ता (वि0यां0)।
05. श्रीमती पूजा असवाल, अपर सहायक अभियन्ता।
06. श्री जितेन्द्र सिंह महर, प्रधान सहायक।
07. श्री अरविन्द रमोला, वरिष्ठ सहायक।
08. श्री विनोद सिंह राणा, वरिष्ठ सहायक।
09. श्री सतीश, कनिष्ठ सहायक।
10. श्री त्रिभुवनराम भट्ट ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं. मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी

पत्रांक / दिनांक /05/2023

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त लो.नि.वि. उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं. मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी

d:\eecd pwd data\arvind\ee letters\ee letter 2020.doc

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग उत्तराखण्ड
लोक निर्माण विभाग देहरादून

विषयः– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/समायोजन करने के सम्बन्ध में।
द्वारा:– उचित माध्यम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत करना है कि प्रार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,चिन्यालीसौड़ में कार्यरत है। वर्तमान में मेरी माताजी जिनकी उम्र 62 वर्ष से अधिक होने के कारण मेरी माताजी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, जिसमें चलने फिरने में कठिनाईया होती है एवं उनका उपचार जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चल रहा है। चिकित्सकों द्वारा सलाह दी गयी है कि माताजी को निरन्तर बैड रेस्ट की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरी माताजी वर्तमान में चलने–फिरने में बिलकुल असमर्थ है। चिकित्सा उपचार हेतु उन्हें बार–बार जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी व देहरादून में दिखाना पडता है। **इकलौते पुत्र होने के कारण उनकी देख–रेख मात्र मेरे द्वारा ही की जाती है।** उनकी देख–भाल न होने के कारण उनके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मेरी माताजी श्रीमती कैलाशी देवी के स्वस्थ्य को मध्यनजर रखते हुए **प्रार्थी का स्थानान्तरण/समायोजन अनुरोध के आधार पर रिक्त पद के सापेक्ष संलग्न प्रारूप–02 में ऐच्छिक स्थानों में करने की कृपा करें।** प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा।

संलग्नः–1–मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2– अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–02

E.A.-I

पत्रांक- 488/मूल दिनांक- 28/04/2023

प्रार्थी,

शिवनारायण भट्ट
(वरिष्ठ सहायक)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड

अधि0अभि0 द्वारा प्रेषित

महोदय प्रार्थना पत्र मूल में संस्तुति सहित अग्रसारित।

Executive Engineer
Division P.W.D.
(Uttarkashi)

अग्रिम प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0,देहरादून को अनुरोध के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–जनपदीय अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः–1–मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2– अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–02

प्रार्थी,

शिवनारायण भट्ट
(वरिष्ठ सहायक)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड

कलावती देवी
(.....)
हस्ताक्षर प्रमाणित।

मुख्य चिकित्साधिकारी / अध्यक्ष
जिला चिकित्सा परिषद,
उत्तरकाशी।

दिनांक 08.08.2022 को जिला चिकित्सा परिषद जनपद उत्तरकाशी की बैठक मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें श्रीमती कलावती देवी भारती पत्नी श्री [illegible] निवासी [illegible] PWD Chinyalisaur उत्तरकाशी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रकरण अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के पत्र संख्या 1756 / चि0प्रतिपूर्ति दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संदर्भित पत्र के अनुपालन में श्रीमती कलावती देवी w/o [illegible] [illegible] कार्यालय उत्तरकाशी जिला चिकित्सा परिषद के सम्मुख द्वितीय राय हेतु उपस्थित हुए।

जनपदीय चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों एवं सम्बन्धित बीमारी विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा श्रीमती कलावती देवी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और परीक्षणोपरान्त उन्हें वर्तमान में Known case of Rheumatoid Arthritis with multiple joint pain with Bilateral osteo Arthritis knee Credit पाया गया और Regular treatment and Rest as advice सलाह दी गयी।

आर्थो0 सर्जन / सदस्य जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	मानसिक रोग विशेषज्ञ / सदस्य जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	फिजीशियन / सदस्य, जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / सदस्य जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	मुख्य चिकित्साधिकारी / अध्यक्ष जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	

Self Attested

Shiv Narayan Bhatt
(Senior Assistant)
C.D. P.W.D Chinyalisaur

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री मोहम्मद अहमद	वरिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा	हरिद्वार/ रूडकी	1.प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार, 2.नि0 खण्ड, लो0नि0वि0 लक्सार, 3 नि0 खण्ड लो0नि0वि0 रूडकी, 4.वि0/यॉ0खण्ड,लो0नि0वि0 ऋषिकेश, 5.प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून 6.निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा 7.अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0 सहिया, 8.प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 टिहरी, 9.निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 श्रीनगर 10निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 पावो	धारा के नाम के आगे ✓लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यो का विवरण	प्रार्थी की माताजी की रीढ की हड्डी में गैप हो जाने के फलस्वरूप चलने फिरने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त अन्य बिमारियों से पीडित है।
						☑ धारा 17(1) (ख) (एक)	मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	मैडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।	
						☐ धारा 17(1) (ख)(सात)		

नोट–कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा

हस्ताक्षर : 07/5/2023
नाम : मोहम्मद अहमद
पदनाम : वरिष्ठ सहायक,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोडा

हस्ताक्षर :
नाम : ई0 इन्द्रजीत बोस
पदनाम अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोडा

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

महानिदेशक / अध्यक्ष
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0 विभाग,
सिटी, जक्शन मॉल के सामने, आई0एस0बी0टी0, देहरादून।

पत्रांक– रा0चिकि0परि0–568 / 2022 / 4151 दिनांक: 15 दिसम्बर, 2022

विषय:– मोहम्मद अहमद की माताजी श्रीमती शमीम के स्वास्थ्य परीक्षण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–19प / 8 / 1 / 2022 / 14723 दिनांक 21.06.2022 के अनुपालन मे मोहम्मद अहमद की माताजी श्रीमती शमीम दिनांक 15.12.2022 को राज्य चिकित्सा परिषद के सम्मुख अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हुये, परीक्षण रिपोर्ट आपकी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– 01 पृष्ठ (परीक्षण रिपोर्ट)

भवदीय,

सचिव / मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड देहरादून।

स्वयं प्रमाणित

राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–398 चि0शा0/2001–145 (चि)/2001 दिनाँक 08.05.2001 द्वारा गठित)

–:: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र ::–

शमीम

हस्ताक्षर प्रमाणित,
श्रीमती शमीम

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–पत्रांक–19प/8/1/2022/14723 दिनाँक 21.06.2022 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख में श्रीमती शमीम उम्र लगभग 65 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनाँक 15.12.2022 को उपस्थित हुयी।

परीक्षणोपरान्त उन्हें A CASE OF CHRONIC PIVD L4-L5-S1 WITH RADICULOPATHY WITH Age Related OSTEOPOROSIS — NEEDS CONSERVATIVE TREATMENT & CARE — — — —

पाया गया।

15/12/2022

(डा0 एस0एन0 सिंह)
आर्थो0सर्जन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद्,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 शशिबाला)
नेत्र सर्जन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद्
उत्तराखण्ड, देहरादून।

स्वयं प्रमाणित

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद्
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महानिदेशक/अध्यक्ष,
राज्य चिकित्सा परिषद्
उत्तराखण्ड,देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

Office of the Executive Engineer, P.D., PWD, Almora (Uttarakhand)

Phone/ Fax:- 05962-230033, E-mail:eepdalmora@rediffmail.com

Web-http://pwd.uk.gov.in

पत्रांकः–

दिनांकः–15 /5/2023

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

विषयः– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष–2023 में स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका कार्यालय ज्ञाप सं0 527 / 34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराया जाना है कि इस खण्ड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों का वर्ष– 2023 में स्थानान्तरण हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

1.	श्री देवेन्द्र सिंह पांगती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रारूप–2
2.	श्री कमल गोयल, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
3.	श्री कैलाश रौतेला, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
4.	श्री मनोज कुमार महतोलिया, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
5.	श्रीमती राधिका भट्ट, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
6.	श्रीमती उषा आर्या, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	प्रारूप–2
7.	श्री गोधन सिंह मनराल, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2
8.	श्री मनीष वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1
9.	श्री प्रदीप कुमार जोशी, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
10.	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1
11.	श्रीमती भावना पन्त, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1
12.	श्री कंचन कुमार आर्य, प्रधान सहायक	प्रारूप–2
13.	श्री चामू सिंह भण्डारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रारूप–2
14.	श्री अशोक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रारूप–2
15.	श्री मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ सहायक	प्रारूप–2
16.	श्री शम्भू दत्त जोशी, अमीन	प्रारूप–1

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

पत्रांकः– 829/35

दिनांकः– 15/5/023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'ग' वर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।

15-05-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–	पवन सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	प्रा0 ख0 ल0नि0वि0 लैन्सडौन	पौड़ी गढ़वाल लैन्सडौन	1– नि0ख0 दुगड्डा 2– प्रा0ख0 देहरादून 3– नि0ख0 देहरादून 4– ग्रा0 म0वि0 डोईवाला 5– ग्रा0 नि0ख0 देहरादून 6– ग्रा0 ख0 हरिद्वार 7– औ0खण्ड ऋषिकेश 8– नि0ख0 नरेन्द्रनगर 9– वि/शि0 ख0 ऋषिकेश 10– नि0ख0 पाबौ	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	दुर्गम की सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त सुगम में स्थानान्तरण पाने हेतु
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 27.4.2023

नाम– पवन सिंह रावत

पदनाम– (वरिष्ठ सहायक)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम–

पदनाम–

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का

प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद /तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अरविन्द चौहान	वरिष्ठ सहायक	रा0मा0,खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट	जिला देहरादून तहसील चकराता	1.अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया। 2.निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला।	धारा के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। ऐच्छिक खण्डो में भविष्य में कार्मिको (वरिष्ठ सहायक) के स्थानान्तरण पश्चात रिक्त पद के सापेक्ष अनुरोध स्वीकार करने की कृपा करे।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– अरविन्द चौहान

पदनाम– वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– अधिशासी अभियन्ता

पदनाम– रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक रिक्त पदों का क्रम में	एक्ट की धारा किके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अरविन्द सिंह राणा	वरिष्ठ सहायक	ए0मा0,खण्ड, लो0नि0वि0 भटवाड़ी	जिला उत्तरकाशी तहसील भटवाड़ी	1.प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 चमोली। 2.प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।	धारा के नाम के आगे √ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु दुर्गम क्षेत्र से स्थानान्तरण हेतु अनुरोध। ऐच्छिक खण्डों में भविष्य में कार्मिको (वरिष्ठ सहायक) के स्थानान्तरण पश्चात रिक्त पद के सापेक्ष अनुरोध स्वीकार करने की कृपा करें। महोदय से यह भी अनुरोध है कि यदि प्रार्थी का ऐच्छिक स्थान पर स्थानान्तरण नही होता है तो प्रार्थी को इसी खण्ड मे यथावत रखा जावे।

नोट–कॉलम संख्या–07 मे दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम– अरविन्द सिंह राणा
पदनाम– वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम–
पदनाम–
(उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–02								
कम संख्या	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शिवनारायण भट्ट	वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी, टुण्डा	1– प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी 2– प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, देहरादून 3– रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, सड़की मुख्यालय देहरादून 4– प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार	✓ धारा 17 (1) (ख) (एक)	मेरी माता जी श्रीमती कौशल्या देवी का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है	अनुरोध के आधार पर प्रार्थना पत्र मूल में संलग्न है।
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						✓ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट:–कॉलम संख्या –07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा

शिवनारायण भट्ट
वरिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़

ह. मनोज दास
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड़

Scanned with OKEN Scanner

कलाशी देवी
(.....)
हस्ताक्षर प्रमाणित।

मुख्य चिकित्साधिकारी / अध्यक्ष
जिला चिकित्सा परिषद,
उत्तरकाशी।

दिनांक 08.08.2022 को जिला चिकित्सा परिषद जनपद उत्तरकाशी की बैठक मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें श्रीमती कलाशी देवी पत्नी श्री शिवनारायण भट्ट, PWD Chinyalisaur उत्तरकाशी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रकरण अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के पत्र संख्या 1756 / चि0प्रतिपूर्ति दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संदर्भित पत्र के अनुपालन में श्रीमती कलाशी देवी पत्नी श्री शिवनारायण भट्ट PWD जिला कार्यालय, उत्तरकाशी जिला चिकित्सा परिषद के सम्मुख द्वितीय राय हेतु उपस्थित हुए।

जनपदीय चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों एवं सम्बन्धित बीमारी विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा श्रीमती कलाशी देवी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और परीक्षणोपरान्त उन्हें वर्तमान में Known case of Rheumatoid Arthritis with multiple joint pain with Bilateral Osteo Arthritis knee Certified पाया गया और Regular treatment and Rest as advice सलाह दी गयी।

आर्थो0 सर्जन / सदस्य जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	मानसिक रोग विशेषज्ञ / सदस्य जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	Naveen 19/8/2022 फिजीशियन / सदस्य, जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / सदस्य जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	मुख्य चिकित्साधिकारी / अध्यक्ष जिला चिकित्सा परिषद उत्तरकाशी।	

Self Attested

Shivnarayan Bhatt
(Senior Assistant)
C. D. P. IN. D. Chinyalisaur

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग उत्तराखण्ड
लोक निर्माण विभाग देहरादून

विषयः– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/समायोजन करने के सम्बन्ध में।
द्वाराः– उचित माध्यम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत करना है कि प्रार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,चिन्यालीसौड में कार्यरत है। वर्तमान में मेरी माताजी जिनकी उम्र 62 वर्ष से अधिक होने के कारण मेरी माताजी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, जिसमें चलने फिरने में कठिनाईयां होती है एवं उनका उपचार जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चल रहा है। चिकित्सकों द्वारा सलाह दी गयी है कि माताजी को निरन्तर बैड रेस्ट की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरी माताजी वर्तमान में चलने–फिरने में बिलकुल असमर्थ है। चिकित्सा उपचार हेतु उन्हें बार–बार जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी व देहरादून में दिखाना पडता है। इकलौते पुत्र होने के कारण उनकी देख–रेख मात्र मेरे द्वारा ही की जाती है। उनकी देख–भाल न होने के कारण उनके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मेरी माताजी श्रीमती कैलाशी देवी के स्वस्थ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण/समायोजन अनुरोध के आधार पर रिक्त पद के सापेक्ष संलग्न प्रारूप–02 में ऐच्छिक स्थानों में करने की कृपा करें। प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार आपका आजीवन अभारी रहेगा।

संलग्नः–1–मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2– अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–02

E.A-I

पत्रांक- 488/मूल दिनांक- 28/04/2023

प्रार्थी,

शिवनारायण भट्ट
(वरिष्ठ सहायक)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड

अधि0अभि0 ठ0 वृत्त, UK

महोदय प्रार्थना पत्र मूल में संस्तुति सहित अग्रसारित।

Executive Engineer
Main. Division P.W.D.
Uttarkashi (Uttarkashi)

अग्रिम प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0,देहरादून को अनुरोध के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–जनपदीय अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः–1–मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2– अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–02

प्रार्थी,

शिवनारायण भट्ट
(वरिष्ठ सहायक)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
चिन्यालीसौड

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री महेश वर्मा	वरिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० नई टिहरी	रुड़की/जनपद	राज्य० खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर	☐ धारा 17 (1) (ख) (एक)	उपचार से सम्बन्धित संख्या 03 नं०	प्रार्थी को लगभग 6–7 वर्ष से शरीर में एलर्जी की समस्या हो रही है, जिसका उपचार दिल्ली निजी होकर एवं लेखन रुड़की से चल रहा है। प्रार्थी को उक्त समस्या नई टिहरी में आने के फलस्वरूप हुई है। डॉक्टर द्वारा जलवायु एवं पानी शरीर के अनुकूल न होने के कारण गम्भीर एलर्जी की समस्या होने की सम्भावना बताई गई है। अतः प्रार्थी की उक्त परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्णित खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें।
					राज्य० खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग।	☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
						☑ धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोट:- कॉलम संख्या –07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम–महेश वर्मा
पदनाम– वरिष्ठ सहायक

(इं दिनेश मोहन गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० नई टिहरी